श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-16

क्रमांक : एफ-21(2)/ला.भा.शा.रा.सं.वि./हि.रा.भा./2021-22/666 **दिनांक 05.08.2026**

कार्यालय आदेश

सिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय का राजभाषा संबंधी निरीक्षण दिनांक 12.08.2026 को किया जाना निर्धारित है। उक्त निरीक्षण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे दिनांक 12.08.2026 को प्रस्तावित निरीक्षण हेतु निम्नलिखित तैयारियाँ सुनिश्चित करें-

1. सभी कार्यालयी फाइलों, पंजिकाओं, अभिलेखों एवं अन्य कार्यालयी दस्तावेजों के आवरण पृष्ठ (Cover Page) द्विभाषी (प्रथम हिन्दी एवं तत्पश्चात् अंग्रेज़ी) में तैयार कर प्रदर्शित किए जाएँ।
2. प्रत्येक विभाग/अनुभाग की अलमारियों पर अंकित विवरण तथा अलमारी में प्रदर्शित सूची को भी द्विभाषी (प्रथम हिन्दी एवं तत्पश्चात् अंग्रेज़ी) में तैयार कर प्रदर्शित किया जाए।
3. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी 17 दस्तावेजों- जैसे कि दिन-प्रतिदिन के सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएँ, नियम, करार, संविदा, निविदा सूचना (टेंडर नोटिस), एम.ओ.ए. (MoA), भर्ती नियम (आर.आर.), संसदीय प्रश्न, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), अनुज्ञा-पत्र (परमिट), नियुक्ति पत्र एवं कार्यवृत्त - को अनिवार्य रूप से द्विभाषी प्रारूप में जारी किया जाऐं।
4. दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान समस्त विभागों/अनुभागों द्वारा उपरोक्त संबंधित संपादित समस्त कार्यो से संबंधित पंजिकाएँ, अभिलेख एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज निरीक्षण हेतु सुव्यवस्थित एवं द्विभाषी रूप में प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य रूप से तैयार रखे जाऐं। जिन विभागों/अनुभागों में उपर्युक्त दस्तावेज वर्तमान में द्विभाषी रूप में उपलब्ध नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे निरीक्षण की तिथि से पूर्व उक्त दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में तैयार कर निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखना सुनिश्चित करें।

संबंधित विभाग/अनुभागः

1. प्रशासन विभाग-I
2. प्रशासन विभाग-II
3. प्रशासन (सामान्य)
4. लेखा विभाग
5. परीक्षा विभाग
6. शैक्षणिक विभाग
7. विकास अनुभाग
8. महिला अध्ययन केंद्र
9. इंजीनियरिंग विभाग
10. शोध विभाग
11. संगणक विभाग
12. केंद्रीय पुस्तकालय
13. हिंदू अध्ययन विभाग
14. एम.एम.टी.टी.सी. (MMTTC) विभाग
15. कुलसचिव कार्यालय
16. वित्ताधिकारी कार्यालय
17. कुलपति कार्यालय

निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भारती त्रिपाठी

सहायक कुलसचिव
(हिन्दी राजभाषा प्रकोष्ठ)